

अधिकाारी अधिकाारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा-2023

Check List

अनुक्रमांक -

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रति	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ	
04	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति	
06	हाईस्कूल अंकतालिका की प्रति	
07	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र की प्रति	
08	इण्टरमीडिएट अंकतालिका की प्रति	
09	स्नातक उपाधि की प्रति*	
10	स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की अंकतालिका की प्रति	
11	अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण -पत्र। (यदि लागू हो)	
	(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो	
	(ख) एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र	
	(ग) एन0सी0सी0 'सी' प्रमाण पत्र	
12	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)**(यदि लागू हो)	
13	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र (उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण पत्र)*** (यदि लागू हो)	
14	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	
15	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं	
16	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या-01/E-02/DR/EO-TRI/2023 दिनांक 28 अगस्त, 2023 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड पे-2800) से न्यून पद में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड-पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति	
17	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति	
18	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति (वैवाहिक होने की स्थिति में) के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा (आयोग के निर्धारित प्रारूप पर)	
19	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ	
	विज्ञापन के बिन्दु सं०-6 में 'समूह ग' के पदों पर भर्ती के लिए 'अन्य वांछनीय अर्हता' के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष निम्न से किसी एक अभिलेख/प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है:-	

20	1. Registration in any District Employment Office located in Uttarakhand State. (उत्तराखण्ड राज्य में स्थित जिला सेवायोजन विभाग द्वारा जारी सेवायोजन प्रमाण-पत्र) अथवा	
	2. Are You Employed? (उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवा हेतु सेवायोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र) अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from any recognized institution situated in the State of Uttarakhand? (उत्तराखण्ड राज्य में स्थित संस्था से धारित हाईस्कूल एवं इण्टर प्रमाण-पत्र व अंकतालिका) अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा 4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा 4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? (सेवायोजक से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि सेवाएँ उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थानांतरणीय नहीं हैं।) अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? (उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र)	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent resident of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? (उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र)	
21.	पहचान-पत्र यथा-आधार-कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि की मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित प्रति	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर, 2023 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।

ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए।

*** दिव्यांगजन अभ्यर्थी अपनी दिव्यांगता श्रेणी (विज्ञापन में उल्लिखित चिन्हांकित श्रेणी) के सापेक्ष अपना मूल दिव्यांग प्रमाण-पत्र एवं आयोग द्वारा निर्धारित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संबंधी प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोट-अभ्यर्थी उक्तानुसार चैकलिस्ट सहित चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट पूर्ण रूप से भरते हुए तैयार करेंगे एवं अभिलेख सत्यापन (Document Verification) के समय आयोग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का नाम.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....